न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, म.प्र.

राजस्व निगरानी क्र....... / 15

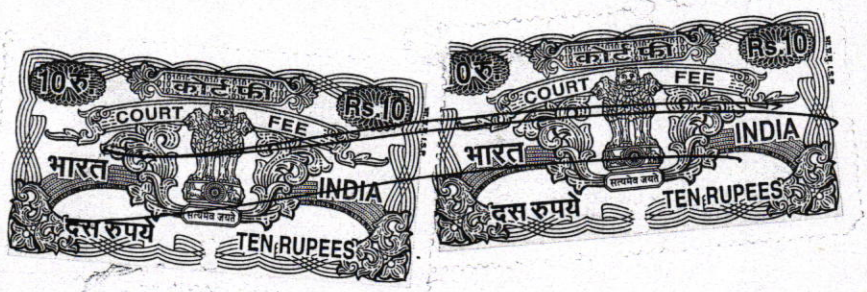

01. विद्या देवी पत्नी श्री रामभजन शुक्ला, उम्र 50 वर्ष

02. रामभजन शुक्ला तनय ददनराम शुक्ला, उम्र 58 वर्ष, दोनों निवासी पुष्पराज कालोनी, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा शहर के पास सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला–सतना म.प्र...निगराकारगण

बनाम

गिरजा देवी पतनी के.पी.तिवारी, उम्र 62 वर्ष, पेशा घरू कार्य, निवासी राजेन्द्रनगर, गली नं.–2 सतना, म.प्र...गैरनिगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

विरुद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के रा.अ.क्र.7 / 14–15 में पारित आदेश 21.12.15

मान्यवर,

उपरोक्त सन्दर्भ में निगराकार निम्नलिखित आधार पर निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है :–

संक्षिप्त तथ्य

गैरनिगराकार क्र.1 द्वारा योग्य विचारण न्यायालय, तहसीलदार रघुराजनगर के रा.प्र.क्र.88अ27 / 12–13 में पारित आदेश दिनांक 16.08.13 के विरुद्ध अपील विलंब से प्रस्तुत की गई, जिसमें धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि योग्य विचारण न्यायालय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 4111–दो/2015 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२६–9–2016	उभय पक्ष अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के प्रकरण कमांक 7/14–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 21–12–15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ उभय पक्ष अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका विद्यादेवी ने विचारण न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत बटवारा आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसपर आदेश दिनांक 16–8–13 के द्वारा तहसीलदार ने बटवारा आदेश पारित किया है। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदिका गिरजा देवी ने समयबाधित अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष इस आधार पर प्रस्तुत कि बटवारा प्रकरण में विचारण न्यायालय से उसे किसी प्रकार की कोई सूचना अथवा नोटिस जारी नहीं किया गया और बटवारा प्रकरण में उसके फर्जी हस्ताक्षर के आधार पर बटवारा कायम करा लिया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदिका के तर्कों से सहमत होते हुये अंतरिम आदेश दिनांक 21–12–15 के द्वारा अपील को समय–सीमा में मान्य किया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त अंतरिम आदेश के विरूद्ध ही यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के 1/2–1/2 भाग के बटवारे हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। तहसील न्यायालय के	

आदेश पत्रिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदिका प्रकरण में लगातार 6 पेशीयों तक उपस्थित रही तथा उभय पक्ष को सुनने के पश्चात ही तहसीलदार द्वारा अंतिम बटवारा आदेश पारित किया है। चूंकि अनावेदिका विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक पेशी पर उपस्थित रही इसलिए विचारण न्यायालय दिनांक 16–8–2013 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 22–12–14 को प्रस्तुत की है जो नकल प्राप्ति में हुये विलम्ब को छोडकर लगभग 90 दिवस विलम्ब से प्रस्तुत की है। अनावेदिका ने म्याद अधिनियम की धारा 5 के आवेदन में विलम्ब का समाधानकारक कारण नहीं दर्शाये हैं। इस संबंध में 1992 आर0एन0 289 (श्रीमती लंगरी एवं अन्य विरूद्ध छोटा तथा अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया गया है :–

" परिसीमा अधिनियम, 1963 – धारा – 5 विलंब सद्भाविक अर्थ – कार्यवाही में अनुपस्थिति तथा अपने काउन्सेल से संपर्क करने का कभी प्रयास नहीं किया अथवा मामले के भाग्य के विषय में जांच करने का कोई कदम नहीं उठाया – पक्षकारों का यह आचरण उनकी ओर से गंभीर ढील, उपेक्षा और निष्क्रियता प्रकट करता है – इसे सद्भाविक नहीं कहा जा सकता । "

इसी प्रकार 2000 आर.एन. 153 हरीसिंह विरूद्ध दुल्ला उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया गया है :–

"–धारा 5––विलंब की माफी–ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक पक्षकार को अनुचित सहूलियत नहीं दी जाए तथा अन्य का अहित नहीं हो ।"

इसके अतिरिक्त विचारण न्यायालय में संलग्न अनावेदिका की ओर से प्रस्तुत सहमति पत्र एवं आदेश पत्रिकाओं में सहमति स्वरूप हस्ताक्षर से यह प्रकट होता है विचारण न्यायालय द्वारा सहमति के आधार आदेश पारित किया है। सहमति के आधार पर पारित आदेश के विरूद्ध अपील वर्जित होती है। इस संबंध में 2005 रा नि 219 कल्याण सिंह विरूद्ध दीवानसिंह में राजस्व मण्डल द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है –

"म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (म0प्र0) – धारा 178– विभाजन के लिए आवेदन सम्यक रूप से दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया और प्रस्तुत किया गया– उद्घघोषण सम्यक् रूप से प्रकाशित की गई– स्पष्ट तौर पर दर्शाता है कि विभाजन दोनों पक्षकारों की सहमति से किया गया था – ऐसा विभाजन विवादित होना स्वीकार नहीं किया जा सकता है।"

इसी प्रकार 1975 आर एन 386 सुन्ना विरूद्ध हरिविलास में राजस्व मण्डल द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है –

"म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (म0प्र0)– (2) अपील –सहमति पर आधारित आदेश– अपल नहीं होगी।"

1986 आर एन 321 केण्ट्रल कॉटन कं0 रजिस्टर्ड फर्म तथा अन्य विरूद्ध सोंसर विपणन सहकारी समिति मर्या. सौंसर तथा अन्य में राजस्व मण्डल द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है –

"म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (म0प्र0) – (2) अपील की ग्राह्यता–सहमति पर पारित आदेश ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील ग्राह्य नहीं।"

उपरोक्त के प्रकाश में उभय पक्ष के मध्य आपसी

प्रकरण कमांक निगरानी 4111–दो/2015 जिला सतना

सहमति से हुये बटवारे के विरूद्ध अपील ग्राहय योग्य नहीं थी। अनावेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील अवधि बाहय एवं अधिकारिताविहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य थी जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने समय–सीमा में मान्य कर ग्राहय करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 21–12–2015 निरस्त किया जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी सतना के समक्ष प्रचलित प्र0कं0 7/14–15 अपील भी निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य